HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16504/2026
CNR: RJHC021001122026 | URN: CRLMB / 30473U / 2026

1. Shyam Charan @ Shyam S/o Shri Sohan Lal, Aged About 25 Years, R/o Village Murar Police Station Kaman District Deeg. (At Present Sub Jail, Kaman)
2. Shivhari S/o Khilona, Aged About 26 Years, R/o Pai, P.s. Jurhara, District Deeg. (At Present Sub Jail, Kaman).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16505/2026
CNR: RJHC020984102026 | URN: CRLMB / 30474U / 2026

Vikram S/o Ramo, Aged About 24 Years, R/o Murar, Police Station Kaman, District Deeg (Rajasthan) (At Present In Sub Jail, Kaman, Deeg).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Pal Jadoun, Adv. Mr. Vikram Singh Chauhan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP Mr. Rajneesh Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक पृथक यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र **बी एन एस एस की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **कामां जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.26
16:37:49 IST

संख्या–**307/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2) 126(2), 351(2), 109(1) बी एन एस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पेश किये गये है।

चूंकि दोनों प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, अतः इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, पूर्व में अभियुक्त पक्ष के सोहन लाल के साथ परिवादी पक्ष द्वारा आक्रामक होकर फायर आर्म्स से चोटें पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप सोहन लाल की मृत्यु हो गयी, जिससे बचने के लिए मिथ्या आधारों पर वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त श्यामचरण व शिवहरी दिनांक 13.09.2026 से व अभियुक्त विक्रम दिनांक 03.09.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त विक्रम के संबंध में विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, उससे कोई फायर आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है, मात्र लाठी की बरामदगी के आधार पर उसे आरोपित अपराध से जोडा गया है।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्रों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की कब्जेशुदा कृषि भूमि पर घातक हथियारों व फायर आर्म्स से लेश होकर यह घटना कारित की है जिससे कुल 09 आहतगण के फायर आर्म्स की चोटें कारित हुई है जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है। अंत में अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

इस प्रकरण में यह विवाद रहित है कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त पक्ष के सोहन लाल

की हत्या होने का आरोप परिवादी पक्ष का रहा है। अभियुक्तगण पर आहतगण की हत्या के प्रयास का आरोप है, लेकिन कारित चोटें प्राण घातक हो, ऐसी स्थिति नहीं है। अभियुक्त शिवहरी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। शेष दोनों अभियुक्तगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकोर्ड नहीं है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण के यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **1.श्याम चरण उर्फ श्याम पुत्र सोहन लाल, 2. शिवहरी पुत्र खिलोना व 3. विक्रम पुत्र रामो** की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/40/Murari Lal Sharma